आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
11/12/2014	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा** **जिला विधि प्रशाखा** **आपूर्त्ति अपील संख्या 47/11** **दीपक प्रसाद बनाम बिहार सरकार (अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा) एवं अन्य** **आदेश** संदर्भित अपील आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के आदेश ज्ञापांक 1178 दिनांक 5.3.11 के विरुद्ध दायर किया गया है। दायर अपील वाद की सुनवाई की गयी। वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 30.1.11 को अनुमंडल स्तरीय गठित जॉच दल (प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, तरैया, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, इसुआपुर एवं अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा) के द्वारा दीपक प्रसाद, जविप्रवि, अनुज्ञप्ति सं0 06/07, ग्राम–टेढ़ा, पंचायत–निपनियॉ, थाना+प्रखंड–इसुआपुर की दूकान की जॉच की गयी। जॉच के क्रम में पायी गयी अनियमितता इस प्रकार है: 1. दूकान बंद पायी गयी एवं विक्रेता दूकान से अनुपस्थित थे। 2. दूकान से संबंधित सूचनापट्ट एवं मूल्य तालिका प्रदर्शन पट्ट पर समुचित रूप से संधारित नहीं था। 3. विकेता की अनुपस्थिति के कारण स्टॉक पंजी/वितरण पंजी इत्यादि की जॉच नहीं की जा सकी तथा मॉगने पर भी विकेता के घर के अन्य सदस्यों के द्वारा उपरोक्त कागजात जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। 4. विकेता से सम्बद्ध उपभोक्ताओं ने बयान दिया है कि विकेता द्वारा दो माह का कूपन लेकर एक माह का किरासन तेल दिया जाता है। 5. विकेता के द्वारा विगत वर्ष 2010 में एक बार भी बी.पी.एल. योजना से संबंधित खाद्यान्न का वितरण नहीं किए जाने की शिकायत उपभोक्ताओं द्वारा की गयी है। उक्त अनियमितताओं के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के ज्ञापांक 728 दिनांक	

1.2.11 के द्वारा विकेता से स्पष्टीकरण पूछा गया। विकेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया, लेकिन विकेता के द्वारा प्रस्तुत जवाब को असंतोषजनक पाते हुए अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा उसे अस्वीकृत कर दिया गया तथा उनकी अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया।

अनुज्ञप्ति रद्द करने संबंधी प्रश्नगत आदेश को चुनौती देते हुए उपस्थित अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बतलाया गया कि दिनांक 30.1.11 को विकेता अपनी ऑख का ईलाज कराने हेतु छपरा चला गया था। इसकी सूचना सूचनापट्ट पर अंकित कर छपरा गया था। साथ ही दूकान से संबंधित सूचनापट्ट एवं मूल्य तालिका प्रदर्शन पट्ट समुचित रूप से संधारित किया गया था। विकेता अपने परिवार का अकेला जिम्मेवार व्यक्ति होने के कारण दूकान से संबंधित कागजात अपने पास ही रखता है। यह भी बतलाया गया कि विकेता किरासन तेल का उठाव प्रत्येक माह अपने उपभोक्ताओं के बीच निर्धारित मूल्य एवं निर्धारित मात्रा में करता था। वितरण के बाद प्राप्त कूपन को प्रखंड आपूर्ति कार्यालय में जमा करा दिया गया था, जिसकी प्राप्ति रसीद की छायाप्रति संलग्न की गयी है। यह भी बतलाया कि विकेता बी.पी.एल. के खाद्यान्न का उठाव जब–जब किया उसका वितरण सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य एवं निर्धारित मात्रा में उपभोक्ताओं के बीच किया। यह भी बतलाया कि विगत माह का कैशमेमो तथा उपभोक्ता पंजी एवं जनवरी माह का वितरण पंजी एवं भंडार पंजी की छायाप्रति दिया गया है। अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा अपने आदेश में अंकित किया गया है कि विकेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातों में अंकित कतिपय अनियमितताओं के संबंध में विकेता के विरूद्व कार्रवाई की गयी है। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि यदि विकेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातों/पंजी में किसी प्रकार की कोई अनियमितता पायी गयी थी, तो उनसे पूरक कारणपृच्छा की जाती, लेकिन ऐसा नहीं करके विकेता के विरूद्व उन बिन्दुओं को आधार बनाकर उनकी अनुज्ञप्ति को रद्द किया गया जिसका उल्लेख कारणपृच्छा में किया ही नहीं गया था और इस तरह विकेता को उन बिन्दुओं पर अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया, जो प्राकृतिक न्याय के विरूद्व है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा विकेता की रद्द अनुज्ञप्ति को पुनर्जीवित करने का अनुरोध किया गया।

सरकार का पक्ष रखते हुए विज्ञ विशेष लोक अभियोजक के द्वारा बतलाया गया कि विकेता पर जो आरोप लगाया गया है, वह अनुज्ञप्ति की शर्त्तों, विभागीय दिशा–निर्देशों के उल्लंघन का परिचायक है।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख में रक्षित कागजातों का परिसीलन किया गया। परिसीलनोपरान्त में यह पाता हूँ कि अपीलार्थी के विरूद्व जिन उपभोक्ताओं ने शिकायत की थी, उनमें से कई उपभोक्ताओं यथा— लड्डू राय, पिता—विजली राय, राजेश्वर प्रसाद, पिता—झड़ी लाल राय के द्वारा अनुज्ञाप्न पदाधिकारी को आवेदन देकर सूचित किया गया है कि उन्हें विक्रेता से कोई शिकायत नहीं है। कुछ अन्य उपभोक्ताओं यथा— जवाहर राय, पप्पू राय, पिता—कपिल राय, कपिल राय के द्वारा लिखित बयान दिया गया है कि वे अपीलार्थी की दूकान से सम्बद्व ही नहीं है। अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा निर्गत कारणपृच्छा एवं विक्रेता से जवाब की प्राप्ति के पश्चात् निर्गत प्रश्नगत आदेश में कहीं भी शिकायत करने वाले उपभोक्ताओं के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है, जिससे अपीलार्थी के विरूद्व लगाए गए आरोप स्पष्ट नहीं हो पाते हैं और इस तरह पारित आदेश मुखर आदेश नहीं बन पाता है।

वितरण पंजी में अंकित हस्ताक्षर की पहचान हेतु अनुमंडल कार्यालय सक्षम स्थल नहीं है। इसके लिए लिखावट विशेषज्ञ की जॉच अपेक्षित प्रतीत होती है। विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातों में अंकित कतिपय अनियमितताओं के संबंध में विक्रेता के विरूद्व कार्रवाई की गयी है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यदि विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातों/पंजी में किसी प्रकार की कोई अनियमितता पायी गयी थी, तो उनसे पूरक कारणपृच्छा की जाती, लेकिन ऐसा नहीं करके विक्रेता के विरूद्व उन बिन्दुओं को आधार बनाकर उनकी अनुज्ञप्ति को रद्द किया गया है, जिसका उल्लेख कारणपृच्छा में किया ही नहीं गया था और इस तरह विक्रेता को उन बिन्दुओं पर अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया, जो प्राकृतिक न्याय के विरूद्व है। ऐसे में इस मामले को पुनः जॉचोपरान्त वाद की सुनवाई कर मुखर आदेश पारित करने हेतु रिमांड किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

ज्ञापांक 03 मु० दिनांक 13.1.15

प्रतिलिपि – SDO मढ़ौरा / DSO, NIC, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

वरीय उप समाहर्त्ता
जिला विधि शाखा, सारण
13/12/14